संख्या- 14 /2021/666/अडतीस-7-2021-11नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत उन्नति योजना हेतु केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी उन्नति योजना हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या- जे-11060/113/2020-आरई-VI एसएल.नं0 22, दिनांक: 23-03-2021 द्वारा निर्गत केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 139.29300लाख(रूपये एक करोड़ उनतालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराते हुए निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) **उक्त निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति रू0 139.29300लाख(रूपये एक करोड़ उनतालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ मात्र) का वहन अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (के.60/रा.40-के.रा.)-42-अन्य व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत के सापेक्ष पुनर्विनियेाग के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में संलग्न बीएम-9 में विवरण अंकित है।**

(2) **पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गयी स्वीकृति की गयी धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि के आहरण/व्यय के संबंध में अन्य संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(3) **प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**

(4) **योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**

(5) **स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक: 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(6) **वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।**

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-75/रा.25-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

http://Shrisankalpsuchi.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-आर0ई0-731/यू0ओ0-ई-2-353/दस-2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 14/2021/666 (1)/अड्तीस-7-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।**
2. **महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
3. **महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
4. **अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
5. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
6. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
7. **समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।**
8. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।**
9. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2**
10. **ग्राम्य विकास अनुभाग-3**
12. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in